बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

प्र०–10 / ल०ज०स० / लो०सू०को० / आई०डी०क्र०–47 / 2026–27 / पटना, दिनांक–

प्रपत्र 'घ'
(नियम4(1) देखें)
सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में

प्रेषक,

दिलीप कुमार चौधरी,
अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

स्पीड पोस्ट

हसन जाहिद,
पता–बघौल, पंचायत–बन्धौली,
वार्ड सं0–16, पोस्ट–मुरैठा, थाना– जाले,
जिला–दरभंगा, पिनकोड–847304
(बिहार), मो0–7700881955

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**
प्रसंगः– **आपका सूचना आवेदन दिनांक–18.06.2026 (विभाग को प्राप्त दिनांक–22.06.26)**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा मांगी गयी सूचना एक (01) पृष्ठ में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु0–यथोक्त्।

विश्वासभाजन
ह० / –
दिलीप कुमार चौधरी,
सरकार के अवर सचिव,
–सह–
लोक सूचना पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4758 / पटना, दिनांक–21/7/26

प्रतिलिपिः– विभागीय आई०टी० कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त्।

21-7-26

लोक सूचना पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

(13)

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0ज0सं0/नि0प्र0/परि0-96/2025 4640 /पटना, दिनांकः-16/7/26

प्रेषक,

रंजीत कुमार झा,
सरकार के अवर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

श्री अजय कुमार,
संयुक्त सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- श्री संजय कुमार शर्मा द्वारा अवैध रूप से धोखाधड़ी कर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में ।

प्रसंगः- मो0 हसन जाहिद, ग्राम-बघौल, पोस्ट-मुरैठा, थाना-जाले, जिला-दरभंगा का परिवाद पत्रांक-शून्य दिनांक-16.07.25 एवं दिनांक-17.07.25 तथा मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर का पत्रांक-802 दिनांक-13.05.26

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मो0 हसन जाहिद के प्रासंगिक परिवाद पत्र द्वारा श्री संजय कुमार शर्मा के विरूद्ध अवैध रूप से अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। श्री शर्मा वर्तमान में लघु जल संसाधन विभाग के नवीनगर जिला औरंगाबाद में पदस्थापित है।

उक्त परिवाद पत्र में वर्णित आरोप की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु श्री पुरूषोत्तम, विशेष कार्य पदाधिकारी, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया गया था । जांच के क्रम में श्री शर्मा से संबंधित वांछित अभिलेखों की मांग किये जाने पर मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-802 दिनांक-13.05.26 द्वारा कागजात/अभिलेख उपलब्ध कराया गया ।

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-7429 दिनांक-28.04.26 द्वारा श्री पुरूषोत्तम, विशेष कार्य पदाधिकारी का स्थानांतरण बंदोबस्त पदाधिकारी, औरंगाबाद हो गया है।

अतः परिवादी मो0 हसन जाहिद के प्रासंगिक परिवाद पत्र एवं मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-802 दिनांक-13.05.26 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि परिवाद पत्र में वर्णित आरोप की जांच कर प्रतिवेदन(साक्ष्य सहित) एक पक्ष के अंदर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

अनु0-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

16/07/26

(रंजीत कुमार झा)
सरकार के अवर सचिव

D:\Amit Drive E\note sheet 2023\letter.docx